प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) अधिनियम 2010 के अन्तर्गत मरम्मत/ नवीकरण/ निर्माण अथवा पुनर्निर्माण करने हेतु आवश्यक जानकारी

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जिसका प्रमुख कार्य पुरातत्वीय अनुसंधान के साथ – साथ राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। विभाग द्वारा प्रतिपादित इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनभागीदारी अत्यन्त आवश्यक है। यह विरासत हम सबकी है और आप सभी के सहयोग के बिना हम इसे सुरक्षित रखने की कल्पना भी नहीं कर सकते।

भारत सरकार द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 को अप्रैल 2010 में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के रुप में संशोधन किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व में घोषित प्राचीन स्मारकों एवं पुरातत्वीय स्थलों के परिवेश अथवा मूलविन्यास के अनुरक्षण के अलावा अनाधिकृत निर्माण एवं अवैध अतिक्रमणों को सख्ती से रोकने से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 20 (ग ख घ) के अन्तर्गत निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिये आवेदन प्राप्त करने एवं अनुमति प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकरण गठित कर सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की गई। मध्यप्रदेश में स्थित राष्ट्रीय स्मारकों के निषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मरम्मत का कार्य, नवनिर्माण अथवा पुर्ननिर्माण करने हेतु अनुमति प्रदान करने वास्ते निम्नलिखित पते पर सक्षम प्राधिकारी को सीधे आवेदन किया जा सकता है–

सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का पता–

सक्षम प्राधिकारी
मध्य प्रदेश कार्यालय
क्षेत्रीय निदेशक मध्य क्षेत्र,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
ऑफिस हाल, प्रथम तल, इनर कोर्ट बिल्डिंग
जी. टी. बी. कॉम्प्लेक्स, टी.टी. नगर भोपाल (मध्य प्रदेश) – 462003
फोन नं.– 0755– 2555526
ई. मेल – competentauthority.mp@gmail.com

संरक्षित स्मारक की चर्तुदिशाओं में स्मारक से 300 मीटर तक के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मरम्मत कार्य, नवनिर्माण अथवा पुर्ननिर्माण कार्य हेतु आपको जानने वाले तथ्य –

आप क्या कर सकते हैं ?

- आप किसी केंद्रीय संरक्षित स्मारक की संरक्षित सीमा से 100 मीटर चतुर्दिक अर्थात निषिद्ध क्षेत्र तक के क्षेत्र में अपने भवन की मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य कर सकते हैं वो भी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से प्राप्त उचित अनुमति के साथ। याद रखिये ––––– मरम्मत कार्य न कि नवनिर्माण। मरम्मत और जीर्णोद्धार से तात्पर्य किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत है किन्तु निर्माण या पुर्ननिर्माण इसके

अन्तर्गत नहीं होंगे।

- आप किसी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र से 200 मीटर तक की दूरी पर यानि 100 मीटर से 300 मीटर तक के विनियमित क्षेत्र में मरम्मत अथवा नवनिर्माण कर सकते हैं वो भी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से प्राप्त उचित अनुमति के साथ।

आपको क्या करना है?

बस आपको उपर्युक्त क्षेत्रों में मरम्मत अथवा निर्माण कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी को फार्म क्रमांक–1 भरकर आवश्यक दस्तावेजों कें साथ सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना है। फार्म क्र. 1 आप अपने स्थानीय संरक्षण सहायक कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पते एवं फोन नं. इस पत्रक के अंत में दिये गये हैं।

आवश्यक दस्तावेज –

अनुमति के लिये सक्षम प्राधिकारी को आवेदन (फार्म कमांक–1) के साथ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है –

1– पूर्ण एवं स्पष्ट भरा हुआ आवेदन प्रपत्र आवेदक के हस्ताक्षर सहित।

2– सम्पत्ति के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज – रजिस्ट्री के अतिरिक्त, खसरा/ खतौनी/ सम्पत्ति की पावती, स्थानीय निकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि।

3– स्मारक एवं प्रस्तावित निर्माण स्थल को दर्शाता हुआ गूगल मैप।

4– प्रस्तावित निर्माण स्थल की चारों दिशाओं के विवरण सहित रंगीन फोटोग्राफ।

5– बिल्डिंग प्लान फ्रन्ट ऐलीवेशन सहित जिसमें बिल्डिंग की ऊँचाई (बिना मम्टी

एवं मम्टी सहित) दर्शायी गई हो एवं प्रत्येक तल का क्षेत्रफल मीटर में जो कि फार्म क्रमांक–1 के कालम क्रमांक –11 के अनुसार हो।

6– बिल्डिंग प्लान पर आर्किटेक्ट के सील सहित हस्ताक्षर एवं आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य है।

7– फार्म क्रमांक –1 एवं आवश्यक समस्त स्वप्रमाणित दस्तावेजों की 5 प्रतियाँ कार्यालय में भेजना अनिवार्य है।

टिप्पणी –ज्ञात हो कि संरक्षित स्मारकों, संरक्षित क्षेत्रों एवं विनियमित क्षेत्रों में क्षति पहुंचाने, परिवर्तन करने, दुरूपयोग करने एवं अन्य कृत्यों तथा अवैध रूप से निर्माण संबंधी गतिविधियां चलाने के लिये अधिनियम की धारा 30 (अ) के अनुसार दो साल का कारावास अथवा एक लाख रूपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

स्थानीय कार्यालयों के पते–

क्र.	उप मंडल कार्यालय का पता	दूरभास क्रमांक
1	वरिष्ट संरक्षण सहायक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल उप मंडल कमलापति महल, भोपाल (म.प्र.)– 462 002	**0755–2660618**
2	**संरक्षण सहायक** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बुरहानपुर उप मंडल, पुराना रेस्ट हाउस, बुरहानपुर (म.प्र.)– 450331	**07325–255156**
3	**संरक्षण सहायक** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चंदेरी उप मंडल, पीडब्लूडी रेस्ट हाउस अशोकनगर (म.प्र.) 473446	**07547–243231**
4	**संरक्षण सहायक** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ग्वालियर उप मंडल मान मंदिर पैलेस, ग्वालियर (म.प्र.) 474 008	**0751–2480011**
5	**संरक्षण सहायक** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर उप मंडल, मेहता पेट्रोल पंप के सामने, JDA बिल्डिंग, लेबर चौक जबलपुर (म.प्र.) 482 001	**0761–2652874**

6	**संरक्षण सहायक** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खजुराहो उप मंडल, 712, खजुराहो, छतरपुर (म.प्र.) 471 606	**07686–272314**
7	**संरक्षण सहायक** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण माण्डू उप मंडल, तवेली महल रेस्ट हाउस, माण्डू जिला धार (म.प्र.) 454 010	**07292–263225**
8	**संरक्षण सहायक** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मन्दसौर उप मंडल, 2/9, नई आबादी, अफीम गोदाउन मन्दसौर (म.प्र.) 458 001	**07422–222450**
9	**संरक्षण सहायक** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रीवा उप मंडल, व्यंकट विद्या सदन (सेंट्रल पुस्तकालय) रीवा (म.प्र.) 486001	**07662–253013**
10	**संरक्षण सहायक** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण साँची उप मंडल, साँची स्तूप, रायसेन (म.प्र.) 464 661	**07482–266728**
11	**संरक्षण सहायक** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सागर उप मंडल, HIG.1 मकरोनिया, पदम नगर, सागर (म.प्र.) 470 001	**07582–231246**
12	**संरक्षण सहायक** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विदिशा उप मंडल, वीजा मंडल, विदिशा (म.प्र.) 464 001	**07592–232384**

हमारी पीढ़ी का हमारे वंशजों के प्रति पवित्र कर्तव्य हैं कि हम सांस्कृतिक निधि का मूल रूप में संरक्षण करें इसकी सुरक्षा करें एवं भावी पीढ़ी को यथारूप में इसे सौंपे।